संघ लोक सेवा आयोग

सम्मिलित भू-वैज्ञानिक परीक्षा, 2021

उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन-प्रपत्र भरने के बारे में अनुदेश

उम्मीदवारों को चाहिए कि वे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरने से पूर्व उम्मीदवार नीचे उल्लिखित अपने संगत मूल दस्तावेजों को 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन भी कर लें और उसे अधिकतम 1 एमबी तक की अलग अलग पीडीएफ फाइल में परिवर्तित कर लें। इस प्रकार तैयार की गई पीडीएफ फाइल पासवर्ड के जिए सुरक्षित न हो और डीएएफ को ऑनलाइन सब्मिट करते समय ही इसे अपलोड किया जाना चाहिए।

- (I) आयु संबंधी प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (II) आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए परीक्षा के नोटिस के पैरा 3(iii) और भारत के राजपत्र दिनांक 7 अक्टूबर, 2020 में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली के नियम 9 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले प्रमाण-पत्रों की स्कैन की गई प्रति।
- (III) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।
- (IV) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में छूट प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के मामले में उनके क्रीमी लेयर से संबद्ध न होने के समर्थन में संबंधित उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिवचन की स्कैन की गई प्रति। यह परिवचन परिशिष्ट-। के पैरा बी-1 में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।
- (V) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में रियायत प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के अनुबंध में दिए अनुसार विधिवत् रूप से भरे गए और हस्ताक्षर किए गए प्रोफार्मा की स्कैन की गई प्रति।
- (VI) आयु में छुट के दावे, जहां कहीं लागू हो, के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (VII) बेंचमार्क शारीरिक अक्षमता वाले उम्मीदवार के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।
- (VIII) भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण तथा केन्द्रीय भूजल बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों के तौर पर नियम 8(ग) के अंतर्गत आयु में छूट के दावे के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (IX) संबंधित उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिवचन की स्कैन की गई प्रति अगर पहले से सरकारी सेवा में हैं।
- (X) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र हेतु ईडब्ल्यूएस अनुबंध के रूप में दिया गया विधिवत् भरा हुआ और हस्ताक्षरित प्रोफोर्मा।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति, सभी दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों सहित, साक्षात्कार के समय या साक्षात्कार के अंतिम दिन, जिसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध करा दी जाएगी, तक प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह भी नोट कर लिया जाए कि दस्तावेजों की जांच की अंतिम तिथि को किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह नोट कर लें कि वे मूल दस्तावेजों की केवल स्कैन की गई प्रतियां ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेज को डाक के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है।

- 2. उम्मीदवार द्वारा इस ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-प्रपत्र में दी गई सूचना का मिलान इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र में पूर्व में दी गई सूचनाओं से की जाएगी। यदि कोई गंभीर विसंगतिया पाई जाती है तो उनकी उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।
 3. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछुड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होने का दावा करता है, तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर से रहते हों, जिला अधिकारी या उपमण्डल अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी से परिशिष्ट-। में दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यह प्रमाणपत्र जारी करने वाला अधिकारी ऐसा अधिकारी होना चाहिए जिसे संबद्ध राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पदनामित किया गया हो। यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से प्राप्त किया जाएगा, जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न अन्य प्रयोजन से आमतौर पर रहता है।
- नोट I: उम्मीदवार यह नोट करें कि उनके अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/बेंच मार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों/पूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाण पत्र सम्मिलित भू-वैज्ञानिक परीक्षा, 2021 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि (अर्थात 27.10.2020 से पहले) से पहले के होने चाहिए जैसा कि परीक्षा की नियमावली के नियम 23 में निर्दिष्ट किया गया है। सिम्मिलित भू-वैज्ञानिक परीक्षा, 2021 के लिए आवेदन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए आय और संपदा प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए।
- नोट 2: अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (वर्तनी सहित) ठीक वही होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित किया गया है। जिस प्रमाण-पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- नोट 3: उम्मीदवार के अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के आधार पर किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूलत: सम्बद्ध हैं। अत:, वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) से किसी अन्य राज्य में प्रव्रजन कर चुका है, उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी का वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जो उसे उसके पिता को उस राज्य जिससे वे (पिता) मूलत: संबद्ध हैं, से प्राप्त अन्य पिछड़ी श्रेणी के प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया हो।

- नोट 4: आयोग, उम्मीदवार द्वारा सम्मिलित भू-वैज्ञानिक परीक्षा के लिए आवेदन-प्रपत्र में दर्शाई गई जातीय स्थिति में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा, सिवाय सम्मिलित भू-वैज्ञानिक परीक्षा नियम, 2021 के नियम 22 में उल्लिखित परिस्थितियों में।
- 4. उम्मीदवार वेबसाइट <u>www.upsc.gov.in</u> के माध्यम से संगत दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों सहित विस्तृत आवेदन प्रपत्र को भरें और उसे ऑनलाइन सब्मिट करें।
- 5. उम्मीदवार को आयु के प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म की तारीख दर्शाई गई है) की स्कैन की गई प्रति अपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। ऐसे उम्मीदवार जो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों, वे उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म-कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम, सेवा अभिलेख आदि से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा इस प्रकार के अन्य प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र'वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती है या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष और महीने ही दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति भेजनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-प्रपत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा-निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।

6. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 7 अक्टूबर, 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसमें पात्रता की शर्तें आदि सम्मिलित हैं। वे यह नोट कर लें कि आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में परिवर्तन करने के संबंध में किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अत:, उम्मीदवारों को चाहिए कि वे सही रूप से आवेदन प्रपत्र भरने के लिए विशेष सावधानी बरतें।

किसी भी प्रविष्टि के अपाठ्य या भ्रामक होने की स्थिति में, इसके परिणाम के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होंगे।

7. उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र के कॉलम 21(क) में उन पदों का विवरण दें जिसके लिए उन्होंने परीक्षा के लिखित भाग में अर्हता प्राप्त की है। यदि उन्होंने पदों की दोनों श्रेणियों के लिए अर्हता प्राप्त की है तो कॉलम 21(ख) में इन सेवाओं के लिए अपनी वरीयता क्रम को सूचित करें ताकि नियुक्ति के समय उनके योग्यता क्रम को ध्यान में रखते हुए उनकी वरीयता पर उपयुक्त रूप से विचार किया जा सके।

उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई वरीयताओं में किसी भी प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन के लिए आयोग द्वारा कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- 8. उम्मीदवार को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा के दिनांक 7 अक्टूबर, 2020 के नोटिस के पैरा 3(III) में निर्धारित शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए। यह प्रमाण-पत्र उस विशिष्ट योग्यता को प्रदान करने वाले प्राधिकरण (अर्थात् विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा निकाय) द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
- नोट 1 :- जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र हो, उसे केवल आयु से संबद्ध प्रविष्टियों वाले पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति ही अपलोड करनी होगी।
- नोट 2:- उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा अथवा न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।
- 9(i) आयु में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए अक्षम हुआ है, महानिदेशक पुन: स्थापना, रक्षा मंत्रालय से नीचे दिए गए फार्म पर इस आशय का एक प्रमाण पत्र लेकर इसकी स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए कि यह रक्षा सेवा में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांत क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान अक्षम हुआ और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ था।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र निम्नानुसार है :-	
प्रमाणित किया जाता है कि सं रैंक श्री श्री	यूनिट
रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु-देश के साथ संघर्ष में/अशांतिग्रस्त क्षेत्र* में फौजी कार्	र्रवाई के दौरान अक्षम हुए और ऐसी अक्षमता के
परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए ।	-
	हस्ताक्षर

*जो शब्द लागू न हो उन्हें कृपया काट दें।

(ii) कमीशन अधिकारियों और ईसीओ/एसएससीओ सहित भूतपूर्व सैनिक कर्मी, जो आयु में छूट का दावा कर रहे हैं, को संबंधित प्राधिकारियों से नीचे दिए गए निर्धारित प्रपत्र में, उनके मामले में लागू प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए।

पदनाम ------दिनांक ------

(क) निर्मुक्त/सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

	प्रमाणि	त किया जाता	[·] है कि सं		रैंक		नाम			, जिनकी जन्मतिर्ा
	है, ने -	से	तक थल सेन	ना/नौसेना/वायु	सेना में सेवा व	की है और वह '	निम्नलिखित मे	में से एक श	र्त पूरी कर	ते हैं :-
	(ক)	उन्होंने पां	च या उससे ३	अधिक वर्ष की	सैन्य सेवा की	है और वे सुप्	र्द कार्य की स	माप्ति पर ी	निर्मुक्त हुए	हैं, न कि उन्हें
		कदाचारः	अथवा अकुशल	ता के कारण ब	ार्खास्त या निर्मु	क्त किया गया	ा है।			
	(ख)	वे सैनिक	सेवा के कारण	हुई शारीरिक	अक्षमता के का	रण	को नि	नेर्मुक्त हुए	हैं।	
तारीख	:							3797TT TT	मिकारी व	ज नाम और पदना
								त्तपम अ	।।वकारा प	ग नाम जार पदना मुह
	(ख)	सेवारत व	गर्मिकों के लिए	ए प्रमाण-पत्र व	न फार्म (उन से	वारत कार्मिक	ों पर लागू हो	गा जिन्हें ए	क वर्ष के	भीतर निर्मुक्त कि
जाना है				•	•				,	G
•	- मैं एतद्व	ारा प्रमाणित	करता हूं कि मे	ारे पास उपलब्	ध सूचना के अन्	नुसार सं		रैंक		नाम
					पु सेना में सेव <u>ा</u>	रत हैं और दि	नांक		को सश	स्त्र सेनाओं में अप
विनियो	जन की वि	निर्दिष्ट अवधि	पूरी करने वार्	ते हैं।						
ादनाक									कमान श	धिकारी के हस्ताक्ष
									कमान ज	।वकारा के हस्ताक कार्यालय की मुह
	उक्त "ख	व" प्रमाण पत्र	देने वाले उम्मी	ोदवारों को नि	म्नलिखित वचन	नबंध प्रस्तत क	रना होगा :-			
				उम्म	विवारों द्वारा वि	देया जाने वाल	7 वचनबंध			
	मुझे ज्ञा	त है कि यदि	इस आवेदन-प्र					। है तो मेरी	ो यह नियु	क्ते मेरे द्वारा नियु
	ारी को इस	त आशय का	संतोषजनक	दस्तावेजी स	ाक्ष्य प्रस्तुत क	रने के अधीन	न होगी कि	मैं [ं] सशस्त्र	सेनाओं से	ा विधिवत् रूप
_	_							(केन्द्रीय	सिविल से	वाओं तथा पदों
पुनर्निय	ोजन) नियम	गावली, 1979) की शर्तों के उ	गनुसार भूतपूर्व	सैनिकों को ग्रा	ह्य लाभों का ह	हकदार हूं।			
									उम	मीदवार के हस्ताक्ष
स्थान										
Q ris										
			हार्च उन मेना	रत शागातकार	ीन कमीशन ३	थधिकारियों/अ	नाकानीन मे	எ கரில	न अधिकारि	क्यों पर लाग नोर
(क)	प्रमाण-	पत्र का यह प								रेयों पर लागू होग
(क)	प्रमाण- । अपनी सेव	पत्र का यह प ा की प्रारंभिक	नियुक्ति अवर्	धि पहले ही पूर	ी कर ली है औ	र नियुक्ति की	बढ़ाई गई अव	धि पर हैं।		रेयों पर लागू होग जिनव
(क) जिन्होंने	प्रमाण- अपनी सेव यह प्रम	पत्र का यह प ा की प्रारंभिक गाणित किया	नियुक्ति अर्वा जाता है कि	धे पहले ही पूर् सं	ी कर ली है औ रैंक	र नियुक्ति की 	बढ़ाई गई अव नाम	धि पर हैं।		
(क) जिन्होंने जन्मति	प्रमाण- ! अपनी सेव यह प्रम थिथ	पत्र का यह प ग की प्रारंभिक् गणित किया है,	नियुक्ति अर्वा जाता है कि रं	धे पहले ही पूर् सं से थल सेना/नौ	ी कर ली है औ रैंक सेना/ वायु सेना	र नियुक्ति की ा में सेवारत हैं।	बढ़ाई गई अव नाम ।	धि पर हैं। 		जिनव
(क) जिन्होंने जन्मति 2.	प्रमाण- ा अपनी सेव यह प्रम थि उन्होंने	पत्र का यह प ग की प्रारंभिक् गणित किया है,	नियुक्ति अर्वा जाता है कि रं	धे पहले ही पूर् सं से थल सेना/नौ	ी कर ली है औ रैंक सेना/ वायु सेना	र नियुक्ति की ा में सेवारत हैं।	बढ़ाई गई अव नाम ।	धि पर हैं। 		
(क) जिन्होंने जन्मति	प्रमाण- ! अपनी सेव यह प्रम थि उन्होंने ल पर हैं।	पत्र का यह प ग की प्रारंभिक् गाणित किया है, पहले ही प्रारं	िनयुक्ति अर्वा जाता है कि रे भिक कार्यकाल	धे पहले ही पूर् सं ने थल सेना/नौ की पांच वर्ष	ी कर ली है औ रैंक सेना/ वायु सेना की सेवा	र नियुक्ति की ा में सेवारत हैं। को पूरी ^ह	बढ़ाई गई अव नाम । कर ली है और	धि पर हैं। अब वे		तक बढ़ाए ग
(क) जिन्होंने जन्मति 2. कार्यकाव 3.	प्रमाण- ! अपनी सेव यह प्रम थि उन्होंने ल पर हैं। सिविल	पत्र का यह प ा की प्रारंभिक गाणित किया है, पहले ही प्रारं रोज़गार हेतु	जियुक्ति अर्वा जाता है कि रे भेक कार्यकाल उनके द्वारा आ	धि पहले ही पूर् सं ते थल सेना/नौ की पांच वर्ष वेदन-पत्र देने	ी कर ली है औ रैंक सेना/ वायु सेना की सेवा के संबंध में कोई	र नियुक्ति की ा में सेवारत हैं। को पूरी ^ह	बढ़ाई गई अव नाम । कर ली है और	धि पर हैं। अब वे		जिनव
(क) जिन्होंने जन्मति 2. कार्यकाव 3.	प्रमाण- ! अपनी सेव यह प्रम थि उन्होंने ल पर हैं। सिविल	पत्र का यह प ा की प्रारंभिक गाणित किया है, पहले ही प्रारं रोज़गार हेतु	जियुक्ति अर्वा जाता है कि रे भेक कार्यकाल उनके द्वारा आ	धे पहले ही पूर् सं ने थल सेना/नौ की पांच वर्ष	ी कर ली है औ रैंक सेना/ वायु सेना की सेवा के संबंध में कोई	र नियुक्ति की ा में सेवारत हैं। को पूरी ^ह	बढ़ाई गई अव नाम । कर ली है और	धि पर हैं। अब वे ा चयन हो	 जाने पर र	तक बढ़ाए ग
(क) जिन्होंने जन्मति। 2. कार्यकाव 3. प्राप्त हे	प्रमाण- । अपनी सेव यह प्रम थि उन्होंने ल पर हैं। सिविल ोने की तिथि	पत्र का यह प ा की प्रारंभिक गाणित किया हैं, पहले ही प्रारं रोज़गार हेतु ये से तीन माह	जियुक्ति अर्वा जाता है कि रे भेक कार्यकाल उनके द्वारा आ	धि पहले ही पूर् सं ते थल सेना/नौ की पांच वर्ष वेदन-पत्र देने	ी कर ली है औ रैंक सेना/ वायु सेना की सेवा के संबंध में कोई	र नियुक्ति की ा में सेवारत हैं। को पूरी ^ह	बढ़ाई गई अव नाम । कर ली है और	धि पर हैं। अब वे ा चयन हो	 जाने पर र	जिनव तक बढ़ाए ग उन्हें नियुक्ति प्रस्ता
(क) जिन्होंने जन्मति। 2. कार्यकाव 3. प्राप्त हे	प्रमाण- । अपनी सेव यह प्रम थि उन्होंने ल पर हैं। सिविल ोने की तिथि	पत्र का यह प ा की प्रारंभिक गाणित किया हैं, पहले ही प्रारं रोज़गार हेतु ये से तीन माह	जियुक्ति अर्वा जाता है कि रे भेक कार्यकाल उनके द्वारा आ	धि पहले ही पूर् सं ते थल सेना/नौ की पांच वर्ष वेदन-पत्र देने	ी कर ली है औ रैंक सेना/ वायु सेना की सेवा के संबंध में कोई	र नियुक्ति की ा में सेवारत हैं। को पूरी ^ह	बढ़ाई गई अव नाम । कर ली है और	धि पर हैं। अब वे ा चयन हो	 जाने पर र	जिनवं तक बढ़ाए ग उन्हें नियुक्ति प्रस्ता ज नाम और पदना
(क) जिन्होंने जन्मति। 2. कार्यकाव 3. प्राप्त हे	प्रमाण- । अपनी सेव यह प्रम थि उन्होंने ल पर हैं। सिविल ोने की तिथि	पत्र का यह प ा की प्रारंभिक गाणित किया है, पहले ही प्रारं रोज़गार हेतु ये से तीन माह	ह नियुक्ति अर्वा जाता है कि र्ने भेक कार्यकाल उनके द्वारा आ के नोटिस पर	धि पहले ही पूर् सं ते थल सेना/नौ की पांच वर्ष वेदन-पत्र देने कार्यमुक्त किय	ि कर ली है औ रैंक सेना/ वायु सेना की सेवा के संबंध में कोई ा जाएगा।	र नियुक्ति की ा में सेवारत हैं। को पूरी ^ह ई आपत्ति नहीं	बढ़ाई गई अव नाम । कर ली है और	धि पर हैं। अब वे ा चयन हो	 जाने पर र	जिनवं तक बढ़ाए ग उन्हें नियुक्ति प्रस्ता ज नाम और पदना
(क) जिन्होंने जन्मती 2. कार्यकाव 3. प्राप्त हे स्थान दिनांक	प्रमाण- । अपनी सेव यह प्रम थि उन्होंने ल पर हैं। सिविल ोने की तिथि	पत्र का यह प ा की प्रारंभिक गाणित किया है, पहले ही प्रारं रोज़गार हेतु ये से तीन माह पत्र जारी करने	तियुक्ति अर्वा जाता है कि 	धि पहले ही पूर् सं ने थल सेना/नौ की पांच वर्ष विदन-पत्र देने कार्यमुक्त किय	ति कर ली है औ रैंक सेना/ वायु सेना की सेवा के संबंध में कोई ा जाएगा।	र नियुक्ति की ा में सेवारत हैं। को पूरी ^ह ई आपत्ति नहीं -	बढ़ाई गई अव नाम । कर ली है और है तथा उनक	धि पर हैं। अब वे ा चयन हो सक्षम प्र	 · जाने पर र ाधिकारी व	तक बढ़ाए ग तक बढ़ाए ग उन्हें नियुक्ति प्रस्ता ज नाम और पदना कार्यालय की मोह
(क) जिन्होंने जन्मती 2. कार्यकाव 3. प्राप्त हे स्थान दिनांक	प्रमाण- । अपनी सेव यह प्रम थि उन्होंने ल पर हैं। सिविल ोने की तिथि प्रमाण-	पत्र का यह प्रा की प्रारंभिक गाणित किया हैं, पहले ही प्रारं रोज़गार हेतु प्रे से तीन माह पत्र जारी करने अधिकारियों	ा नियुक्ति अर्वा जाता है कि 	धि पहले ही पूर् सं ते थल सेना/नौ की पांच वर्ष वेदन-पत्र देने कार्यमुक्त किय म प्राधिकारी रि क कमीशन प्राप्त	ति कर ली है औ रैंक सेना/ वायु सेना की सेवा के संबंध में कोई ा जाएगा। नेम्नलिखित हैं:- ा अधिकारियों/ः	र नियुक्ति की ा में सेवारत हैं। को पूरी ^ह ई आपत्ति नहीं - अल्पकालीन से	बढ़ाई गई अव नाम । कर ली है और है तथा उनक	धि पर हैं। अब वे ा चयन हो सक्षम प्र	 · जाने पर र ाधिकारी व	जिनवं तक बढ़ाए ग उन्हें नियुक्ति प्रस्ता ज नाम और पदना
(क) जिन्होंने जन्मती 2. कार्यकाव 3. प्राप्त हे स्थान दिनांक	प्रमाण- । अपनी सेव यह प्रम थि उन्होंने ल पर हैं। सिविल ोने की तिथि प्रमाण- प्रमाण- प्रमाण- थल सेना	पत्र का यह प् । की प्रारंभिक ।।णित किया है, पहले ही प्रारं रोज़गार हेतु ये से तीन माह पत्र जारी करन् अधिकारियों मिलिटरी स	तियुक्ति अर्वा जाता है कि 	धि पहले ही पूर् सं ने थल सेना/नौ की पांच वर्ष विदन-पत्र देने कार्यमुक्त किय म प्राधिकारी ि त कमीशन प्राप्त ग्रा, सेना मुख्या	ते कर ली है औ 	र नियुक्ति की ा में सेवारत हैं। को पूरी ^ह ई आपत्ति नहीं - अल्पकालीन से	बढ़ाई गई अव नाम । कर ली है और है तथा उनक	धि पर हैं। अब वे ा चयन हो सक्षम प्र	 · जाने पर र ाधिकारी व	तक बढ़ाए ग तक बढ़ाए ग उन्हें नियुक्ति प्रस्ता ज नाम और पदना कार्यालय की मोह
(क) जिन्होंने जन्मती 2. कार्यकाव 3. प्राप्त हे स्थान दिनांक	प्रमाण- । अपनी सेव यह प्रम थि उन्होंने ल पर हैं। सिविल ने की तिथि प्रमाण- प्रमाण- प्रमाण- प्रमाण- थल सेना नौसेना -	पत्र का यह प्रा की प्रारंभिक गाणित किया है, पहले ही प्रारं रोज़गार हेतु ग्रे से तीन माह पत्र जारी करने अधिकारियों मिलिटरी स् कार्मिक निदे	तियुक्ति अर्वा जाता है कि रे भेक कार्यकाल उनके द्वारा आ के नोटिस पर जिपातकालीन (आपातकालीन सचिव की शाख शालय, नौसेन	धि पहले ही पूर् सं ते थल सेना/नौ की पांच वर्ष विदन-पत्र देने कार्यमुक्त किय म प्राधिकारी जि कमीशन प्राप्त ग, सेना मुख्या ग मुख्यालय, न	ते कर ली है औ रैंक सेना/ वायु सेना की सेवा के संबंध में कोई ा जाएगा। नम्नलिखित हैं:- । अधिकारियों/ह लय, नई दिल्ली।	र नियुक्ति की को पूरी ^ह को पूरी ^ह ई आपत्ति नहीं - अल्पकालीन से	बढ़ाई गई अव नाम । कर ली है और है तथा उनक	धि पर हैं। अब वे ा चयन हो सक्षम प्र	 · जाने पर र ाधिकारी व	तक बढ़ाए ग तक बढ़ाए ग उन्हें नियुक्ति प्रस्ता ज नाम और पदना कार्यालय की मोह
(क) जिन्होंने जन्मति 2. कार्यकार 3. प्राप्त हे स्थान दिनांक (क) कर	प्रमाण- । अपनी सेव यह प्रम थि उन्होंने ल पर हैं। सिविल ोने की तिथि प्रमाण- प्रमाण- प्रमाण- थल सेना नौसेना - वायु सेन	पत्र का यह प्रा की प्रारंभिक गाणित किया है, पहले ही प्रारं रोज़गार हेतु ये से तीन माह पत्र जारी करन् अधिकारियों मिलिटरी स् कार्मिक जी	तियुक्ति अर्वा जाता है कि 	धि पहले ही पूर सं ने थल सेना/नौ की पांच वर्ष विदन-पत्र देने कार्यमुक्त किय म प्राधिकारी ि त कमीशन प्राप्त ग्रा, सेना मुख्या ग मुख्यालय, न गलय, वायु सेन	ते कर ली है औ 	र नियुक्ति की । में सेवारत हैं को पूरी ^ह ई आपत्ति नहीं - अल्पकालीन से ो।	बढ़ाई गई अव नाम । कर ली है और है तथा उनक	धि पर हैं। अब वे ा चयन हो सक्षम प्र	 · जाने पर र ाधिकारी व	तक बढ़ाए ग तक बढ़ाए ग उन्हें नियुक्ति प्रस्ता ज नाम और पदना कार्यालय की मोह
(क) जिन्होंने जन्मति 2. कार्यकार 3. प्राप्त हे स्थान दिनांक (क) कर	प्रमाण- । अपनी सेव यह प्रम थि उन्होंने ल पर हैं। सिविल तेने की तिथि प्रमाण- प्रमाण- भीशन प्राप्त थल सेना नौसेना - वायु सेन	पत्र का यह प्रा की प्रारंभिक गि की प्रारंभिक गि किया 	तियुक्ति अर्वा जाता है कि	धि पहले ही पूर सं ने थल सेना/नौ की पांच वर्ष विदन-पत्र देने कार्यमुक्त किय म प्राधिकारी ि न कमीशन प्राप्त ग, सेना मुख्या ग सुख्यालय, न गलय, वायु सेन हसेना के समक	त कर ली है औ 	र नियुक्ति की । में सेवारत हैं को पूरी ^ह ई आपत्ति नहीं - अल्पकालीन से ो।	बढ़ाई गई अव नाम । कर ली है और है तथा उनक	धि पर हैं। अब वे ा चयन हो सक्षम प्र	 · जाने पर र ाधिकारी व	तक बढ़ाए ग तक बढ़ाए ग उन्हें नियुक्ति प्रस्ता ज नाम और पदना कार्यालय की मोह
(क) जिन्होंने जन्मति 2. कार्यकार 3. प्राप्त हे स्थान दिनांक (क) कर	प्रमाण- । अपनी सेव यह प्रम् थि उन्होंने ल पर हैं। सिविल ोने की तिथि 	पत्र का यह प्रा की प्रारंभिक गा की प्रारंभिक गाणित किया 	तियुक्ति अर्वा जाता है कि 	धि पहले ही पूर सं ने थल सेना/नौ की पांच वर्ष विदन-पत्र देने कार्यमुक्त किय म प्राधिकारी ि त कमीशन प्राप्त ग्रा, सेना मुख्या ग मुख्यालय, न गलय, वायु सेन	त कर ली है औ 	र नियुक्ति की । में सेवारत हैं को पूरी ^ह ई आपत्ति नहीं - अल्पकालीन से ो।	बढ़ाई गई अव नाम । कर ली है और है तथा उनक	धि पर हैं। अब वे ा चयन हो सक्षम प्र	 · जाने पर र ाधिकारी व	तक बढ़ाए ग तक बढ़ाए ग उन्हें नियुक्ति प्रस्ता ज नाम और पदना कार्यालय की मोह
(क) जिन्होंने जन्मति 2. कार्यकार 3. प्राप्त हे स्थान दिनांक (क) कर	प्रमाण- प्रमाण- यह प्रम थि उन्होंने ल पर हैं। सिविल ते की तिथि प्रमाण- प्रमाण- प्रमाण- प्रमाण- वायु सेना नौसेना - थल सेना वसेना -	पत्र का यह प्रा की प्रारंभिक गा की प्रारंभिक गाणित किया 	तियुक्ति अर्वा जाता है कि 	धि पहले ही पूर सं ने थल सेना/नौ की पांच वर्ष विदन-पत्र देने कार्यमुक्त किय म प्राधिकारी ि त कमीशन प्राप्त ग्रा, सेना मुख्या ग मुख्यालय, न गलय, वायु सेन ह सेना के समक कार्यालय द्वारा	त कर ली है औ 	र नियुक्ति की । में सेवारत हैं को पूरी ^ह ई आपत्ति नहीं - अल्पकालीन से ो।	बढ़ाई गई अव नाम । कर ली है और है तथा उनक	धि पर हैं। अब वे ा चयन हो सक्षम प्र	 · जाने पर र ाधिकारी व	तक बढ़ाए ग तक बढ़ाए ग उन्हें नियुक्ति प्रस्ता ज नाम और पदना कार्यालय की मोह
(क) जिन्होंने जन्मति 2. कार्यकार 3. प्राप्त हे स्थान दिनांक (क) कर	प्रमाण- प्रमाण- यह प्रम थि उन्होंने ल पर हैं। सिविल ते की तिथि प्रमाण- प्रमाण- प्रमाण- प्रमाण- वायु सेना नौसेना - थल सेना वसेना -	पत्र का यह प्रा की प्रारंभिक गा की प्रारंभिक गाणित किया 	तियुक्ति अर्वा जाता है कि 	धि पहले ही पूर सं ने थल सेना/नौ की पांच वर्ष विदन-पत्र देने कार्यमुक्त किय म प्राधिकारी ि न कमीशन प्राप्त् ग, सेना मुख्या ग सुख्यालय, न गलय, वायु सेन हसेना के समक	त कर ली है औ 	र नियुक्ति की । में सेवारत हैं को पूरी ^ह ई आपत्ति नहीं - अल्पकालीन से ो।	बढ़ाई गई अव नाम । कर ली है और है तथा उनक	धि पर हैं। अब वे ा चयन हो सक्षम प्र	 · जाने पर र ाधिकारी व	तक बढ़ाए ग तक बढ़ाए ग उन्हें नियुक्ति प्रस्ता ज नाम और पदना कार्यालय की मोह
(क) जिन्होंने जन्मति 2. कार्यकार 3. प्राप्त हे स्थान दिनांक (क) कर	प्रमाण- । अपनी सेव यह प्रम थि उन्होंने ल पर हैं। सिविल ोने की तिथि प्रमाण- प्रमाण- प्रमाण- प्रमाण- वायु सेन वायु सेन वायु सेन वायु सेन वायु सेन	पत्र का यह प्रा की प्रारंभिक गाणित किया	तियुक्ति अर्वा जाता है कि	भे पहले ही पूर सं ने थल सेना/नौ की पांच वर्ष विदन-पत्र देने कार्यमुक्त किय म प्राधिकारी ि त कमीशन प्राप्त् ग, सेना मुख्या ग मुख्यालय, न गलय, वायु सेन् ; सेना के समक कार्यालय द्वारा	त कर ली है औ 	र नियुक्ति की । में सेवारत हैं। को पूरी ^द ई आपत्ति नहीं । अल्पकालीन से ो। ई दिल्ली।	बढ़ाई गई अव नाम । कर ली है और है तथा उनक	धि पर हैं। अब वे ा चयन हो सक्षम प्र	जाने पर र ाधिकारी व	तक बढ़ाए ग तक बढ़ाए ग उन्हें नियुक्ति प्रस्ता ज नाम और पदना कार्यालय की मोह
(क) जिन्होंने जन्मति 2. कार्यकार 3. प्राप्त हे स्थान दिनांक (क) कर	प्रमाण- प्रमाण- यह प्रम थि उन्होंने ल पर हैं। सिविल ते की तिथि प्रमाण- प्रमाण- प्रमाण- प्रमाण- प्रमाण- वायु सेना नौसेना - वायु सेन वायु सेन वायु सेन वायु सेन	पत्र का यह प्रा की प्रारंभिक । पित किया । पहले ही प्रारं । रोजगार हेतु ये से तीन माह । प्राचीन करियों । प्राचीन किया नी जार किया नी जार तथा नी । प्राचीन किया है । प्राचीन कि	तियुक्ति अर्वा जाता है कि	धे पहले ही पूर सं	त कर ली है औ	र नियुक्ति की को पूरी हैंको पूरी हैं ई आपत्ति नहीं - अल्पकालीन से ो। ई दिल्ली। :-	बढ़ाई गई अव नाम । कर ली है और है तथा उनक	धि पर हैं। अब वे ा चयन हो सक्षम प्र गाप्त अधिक	जाने पर ज ाधिकारी व गरियों सहि	जिनव तक बढ़ाए ग उन्हें नियुक्ति प्रस्ता ज नाम और पदना कार्यालय की मोह

टिप्पणी : आयु में छूट के पूर्वोक्त प्रावधान के बावजूद, बेंचमार्क श्रेणी के किसी उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु अर्हक तभी माना जाएगा जब (सरकार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के उपरांत) यह पाया जाता है कि वह सम्मिलित भू-वैज्ञानिक परीक्षा, 2021 के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानक संबंधी शर्तों को पूरा करता है।

11. भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण तथा केन्द्रीय भूजल बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी, जो नियम 8(ग) के अंतर्गत आयु में छूट का दावा कर रहे हैं

वे निम्नलिखित फार्म में कार्यालय/विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रमाण पत्र की स्कैन र्व उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले		
<u>उम्मादवारा द्वारा प्रस्तुत कए जान वाल</u> प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*		से भारतीय भू-विज्ञान
सर्वेक्षण/केन्द्रीय भू-जल बोर्ड' में के स्थायी/अस्थायी पद पर कार्यरत		रा मारताय मू-ायशाग
(144) 16 X [1] X [. 6.	हस्ताक्षर
		पदनाम
	मंत्रा	यल/कार्यालय
	कार्यार	तय की मोहर
ंजो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।		
12. उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि सम्मिलित भू-वैज्ञानिक परीक्षा, 2021 र	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*
पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित है। यदि परीक्षा के पहले या बाद में ि की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा रद्द कर र्द	री जाएगी।	
टिप्पणी : लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए लघु-सूचीबद्ध किए गए आवेदन प्रपत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व अ	पनुप्रमाणित प्रतियां अपलोड क	रना अपेक्षित होंगा ।
साक्षात्कार के समय उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों को, उनकी स्व		
13 जिन मामलों में ऑनलाइन आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों रहित य		
उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार यदि गायब अनुलग्नकों को बाद में भेज		
14. इस आवेदन के संबंध में आयोग से किए गए अपने समस्त पत्र-व्यवहार पंजीकृत आई.डी. (11 अंकीय) तथा जन्म की तारीख अवश्य लिखें।	र में उम्मीदवार परीक्षा का नाम	ा, अपना पूरा नाम, अनुक्रमाक,
पजाकृत आइ.डा. (11 अकाय) तथा जन्म का ताराख अवश्य ालखा 15. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में व	ताम कर रहे हों या किसी काम -	के लिए विशिष्ट रूप से नियक्त
कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं,	2 2	
(अण्डरटेकिंग) (जैसा कि विस्तृत आवेदन-पत्र की घोषणा में है) की स्कैन की गई		-
कार्यालय/ विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए		
यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्ष	ा में बैठने से संबद्ध अनुमति रो	कते हुए कोई पत्र मिलता है, तो
उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/ उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा	ा सकती है (कृपया सम्मिलित	भू-वैज्ञानिक परीक्षा, 2021 की
नियमावली का नियम 11 देखें)।		
उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाने वा वचनबंध (सरकारी कर्मचारिये		
मैंने अपने कार्यालय प्रमुख/ विभाग को दिनांक को लिखित रूपरीक्षा, 2021 के लिए आवेदन किया है।		कि मैंने सम्मिलित भू-वैज्ञानिक
पराक्षा, 2021 के लिए आवदन किया हा		(हस्ताक्षर)
	नाम •	(हस्ताकर)
नोट : ऐसे सभी कर्मचारी जो सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काग		
कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं		
(अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभ	-	•
लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि यदि आयोग		
करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमित रोकते हुए कोई पत्र मिलता है, तो उनका	आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया ज	ना सकता है/उनकी उम्मीदवारी
रद्द की जा सकती है।		
परिशिष्ट	<u>되</u>	
(क) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचि किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म :-	त जाति और अनुसूचित जनज	ति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*	सुपत्र/सपत्री* श्री	जो गांव/
कस्बा* राज्य/संघ राज		
जाति/जनजाति* से संबद्ध हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित ज		*

```
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @
[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,
1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित
जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986; अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा,
दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथासंशोधित]
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 @
संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समृह) अनुसुचित जनजातियां आदेश, 1959, अनुसुचित जातियां तथा अनुसुचित जनजातियां (संशोधन)
अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित@
संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसचित जातियां आदेश, 1962 @
संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962 @
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 @
संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1967 @
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 @
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968 @
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 @
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 @
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 @
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 @
संविधान (अनुसचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @
अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 @
%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में
         यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी ------- ग्राम/कस्बा ------ ग्राम/कस्बा ------
जिला/मंडल* ----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ----- जो ------ जो ------ जो जो जाति/जनजाति*
से संबद्ध है जिसे ------ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/जनजाति* के रूप में मान्यताप्राप्त है, के पिता/माता*
श्री/श्रीमती ----- को जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।
%3 श्री/श्रीमती/कुमारी* ------और/या* उनका परिवार आमतौर से ग्राम/कस्बा* --------
जिला/मंडल* ------ में रहते/रहती हैं।
                                                                                              हस्ताक्षर -----
                                                                                         **पदनाम ------
                                                                                               (कार्यालय की मोहर)
                                                                                     राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*-----
* जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें।
@ कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश उद्धृत करें।
% जो पैराग्राफ लागू न हों उसे कृपया काट दें।
नोट : यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" शब्दावली का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।
```

** अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों की सुची :

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 @

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/† सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर।
 - † (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे का न हो)।
- (ii) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
- (iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।
- (iv) उस इलाके का सब-डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो।
- (v) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

(ख) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी* ------के जो जिला/मंडल* -----के गांव/कस्वा*-----के/की निवासी हैं और ------राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* -----स्पुत्रा/प्रिटिंग की मान्यताप्राप्त है :-

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 186 में दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 का संकल्प सं.12011/68/93-बी.सी.(सी.)।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 163 में दिनांक 20.10.1994 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 19.10.1994 का संकल्प सं.12011/9/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 88 में दिनांक 25.05.1995 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24.05.1995 का संकल्प सं.12011/7/95-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 60 में दिनांक 11 मार्च, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1996 का संकल्प सं.12011/96/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 का संकल्प सं.12011/44/96-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 239 में दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं.12011/13/97-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 236 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं.12011/99/94-बी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 241 में दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 का संकल्प सं.12011/68/98-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 270 में 6 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 का संकल्प सं.12011/88/98-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 71 में दिनांक 4 अप्रैल 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का संकल्प सं.12011/36/99-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 210 में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 21 सितम्बर, 2000 का संकल्प सं.12011/44/99-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 246 में दिनांक 6 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 सितम्बर, 2001 का संकल्प सं.12015/9/2000-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 151 में दिनांक 20 जून, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 19 जून, 2003 का संकल्प सं.12011/1/2001-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-l, खण्ड-l, संख्या 9 में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जनवरी, 2004 का संकल्प सं.12011/4/2002-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 10 में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जनवरी, 2006 का संकल्प सं.12011/9/2004-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 67 में दिनांक 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 12 मार्च, 2007 का संकल्प सं.12011/14/2004-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 232 में दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 18 अगस्त, 2010 का संकल्प सं.12015/2/2007-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I, संख्या 274 में दिनांक 12 अक्तूबर, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 11 अक्तूबर, 2010 का संकल्प सं.12015/2/2007-बी.सी.सी.।

(ख-1) भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले वचनबंध का प्रारूप।

@ जो लागू न हों उसे हटा दें।

	वचनबंध
;	मैं सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी
ग्राम/कस्बा/	शहर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* एतद्वारा
	करता/करती हूं कि मैं समुदाय से संबद्ध हूं जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के दिनांक
	93 के का.ज्ञा.सं.36012/22/93-स्था.(एस.सी.टी.) में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा
	के तौर पर मान्यता प्राप्त है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि मैं समय-समय पर संशोधित किए गए दिनांक 08.09.1993 के
	ति और दिनांक 9.3.2004 और दिनांक 14.10.2008 के का.ज्ञा.सं.36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) तथा दिनांक 27 मई, 2013 के
का.ज्ञा.सं.3	6033/1/2013-स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों* (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं।
	हस्ताक्षर उम्मीदवार का नाम
	उम्मादवार का नाम अनुक्रमांक
नोद • गर्ना '	जपुत्रनायः
_	''अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) का प्रमाण-पत्र जारी करने के लए सक्षम प्राधिकारी वही रहेंगे जो अ.जा./अ.ज.जा. के प्रमाण-पत्र जारी
करने के लए	
टिप्पणी 1 जाति का न जिस प्रमाण	: अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में दी गई उनकी ाम (वर्तनी सहित) ठीक वही होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित किया गया है। -पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
	: उम्मीदवार के अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के आधार पर किया जाएगा के पिता मूलत: सम्बद्ध हैं। अत: वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) में प्रव्रजन कर चुका है उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी
का वह प्रमा	ण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे उसके पिता को उसे राज्य जिसमें (पिता) मूलत: सम्बद्ध है, से प्राप्त अन्य पिछड़ी श्रेणी के प्रमाण-
	ार पर जारी किया गया हो।
	: आयोग, उम्मीदवार द्वारा इस परीक्षा के लिए अपने सरलीकृत आवेदन-प्रपत्र में दर्शायी गई सामुदायिक स्थिति में किसी आधार पर
किसी भी प	रिवर्तन की अनुमति नहीं देगा, सिवाय सम्मिलित भू-वैज्ञानिक परीक्षा नियम, 2021 के नियम 22 में उल्लिखित परिस्थितियों में।
	<u> प्रपत्र – IV</u>
	अशक्त व्यक्तियों द्वारा अशक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र
1.	
1.	नाम
	(उप नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम)
2.	(उप नाम) (प्रथम नाम) पिता का नाम माता का नाम
2.	(उप नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम) पिता का नाम जन्म तिथि//
2. 3.	(उप नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम) पिता का नाम जन्म तिथि/ (दिनांक) (माह) (वर्ष)
 2. 3. 4. 	(उप नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम) पिता का नाम जन्म तिथि/ (दिनांक) (माह) (वर्ष) आवेदन के समय आयु :वर्ष
 2. 3. 4. 5. 	(उप नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम) पिता का नाम जन्म तिथि/ (दिनांक) (माह) (वर्ष) आवेदन के समय आयु :वर्ष लिंग : पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर
 2. 3. 4. 5. 	(उप नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम) पिता का नाम जन्म तिथि// (दिनांक) (माह) (वर्ष) आवेदन के समय आयु :वर्ष लिंग : पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर
2. 3. 4. 5.	(उप नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम) पिता का नाम जन्म तिथि/ (दिनांक) (माह) (वर्ष) आवेदन के समय आयु :वर्ष लिंग : पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर
2. 3. 4. 5.	(उप नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम) पिता का नाम जन्म तिथि// (दिनांक) (माह) (वर्ष) आवेदन के समय आयु :वर्ष लिंग : पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर
2. 3. 4. 5.	(उप नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम) पिता का नाम
2. 3. 4. 5.	(उप नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम) पिता का नामजन्म तिथि//
2. 3. 4. 5.	(उप नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम) पिता का नाम
2. 3. 4. 5.	(उप नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम) पिता का नाम
2. 3. 4. 5. 6.	(उप नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम) पिता का नाम
2. 3. 4. 5. 6.	(उप नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम) पिता का नाम
2. 3. 4. 5. 6.	(उप नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम) पिता का नाम
2. 3. 4. 5. 6.	(उप नाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम) पिता का नाम

हायर सेकेंडरी

हाई स्कूल

मिडिल

प्राइमरी

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

	(viii)	अशिक्षत
8.	व्यवसाय	
9.	पहचान वे	ҕ चिन्ह (i) (ii)
10.		की प्रकृति :
11.	-	प्रे जब से अशक्त हैं : जन्म से/वर्ष से
12.	(i) क्या ३	गपने कभी पूर्व में अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है हां/नही
	(ii) यदि ह	ग़ं, तो विवरण दें :
	(ক) किस प्राधिकारी और जिले में आवेदन किया है
	(ख) आवेदन का परिणाम
13.	क्या आप	को पूर्व में कभी अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो कृपया सही प्रतिलिपि संलग्न करें।
	महत्वपूर्ण आवेदन पः	रा यह घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त सभी विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है अथवा गलत नहीं व्यक्त की गई है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि यदि मेरे त्र में कोई गलती पाई जाती है तो मुझे प्राप्त लाभ, यदि कोई हो, जब्त किया जा सकता है और विधि के अनुसार मेरे प्रकार्रवाई की जा सकती है।
		 (अशक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का
		निशान अथवा मानसिक अशक्तता(मेंटल रिटार्डेशन),
		ऑटिज्म, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और एकाधिक अशक्तता
		वाले व्यक्तियों के मामले में उनके विधिक संरक्षक के
दिनांक : स्थान :		हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)
संलग्नक	<u>:</u>	
1.	निवास क	त प्रमाण (जो लागू हो कृपया उसे चिन्हित करें)
	(क)	राशन कार्ड,
	(ख)	मतदाता पहचान पत्र,
	(ग)	ड्राइविंग लाइसेंस,
	(ম) (घ)	बैंक पासबुक,
	(५) (ड.)	पैन कार्ड.
	` '	पासपोर्ट.
	(च) ⟨─⟩	,
	(ন্ত্ৰ)	टेलीफोन, विद्युत, जल और अन्य उपभोज्य बिल जिसमें आवेदक का पता लिखा हो,
	(ज)	पंचायत, नगर निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड, किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा संबंधित पटवारी अथवा किसी सरकारी
		स्कूल के हैडमास्टर द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र,
	(झ)	अशक्त, निराश्रित, मानसिक रोग, आदि से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए निवास संस्थान के मामले में ऐसे संस्थान के प्रमुख
		से निवास प्रमाण पत्र।
2.	पासपाट	आकार के दो नवीनतम फोटोग्राफ
		 (केवल कार्यालय उपयोग के लिए)
दिनांक :		जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
स्थान :		मोहर
		<u>प्रपत्र - V</u>
		21012221 1111111 112

अशक्तता प्रमाण पत्र (अंगच्छेदन या अंगों के पूर्ण रूप से स्थायी पक्षाघात के मामले में और दृष्टिहीन व्यक्तियों के मामले में) (प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अशक्त व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र सं.		दिनांक :		
प्रमाणित किया जाता	है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी		पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री	
जन्म तिथि (दिन	ांक/माह/वर्ष) आयु वर्ष, पुरूष	ष/महिला	पंजीकरण सं	
स्थायी निवासी मकान नं	वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट	डाकघर	जिल	ा राज्य
और जिनका फो	टोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध	_{प्} यानपूर्वक जांच कर	ली है और मैं संतुष्ट हूं वि	ቫ :
(क) वह निम्न रोग से			,	
• चलने में असमर्थ				
• बौनापन(ड्वार्पि	ज्ज्म)			
• दृष्टिहीन				
	ाया उसे चिन्हित करें)			
` '	निदान है।	2 % CC		, , , , ,
• •	गर (दिशा-निर्देशों की संख्य -			
	% (अंकों में) प्रतिशत ((शरीर के अंग) के	ह संबंध में स्थायी तौर पर
	ग्रौनापन(ड्वार्फिज्म)/दृष्टिहीनता है।			
	ास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित			
दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जा	री करने वाले प्राधिकारी	का विवरण
उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।	<u>प्रप</u> अशक्तत	त्र –VI ग प्रमाण पत्र क्तता के मामले में)	चिकित्सा प्राधिकारी के प्र	ाधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)
प्रमाण पत्र सं.		देनांक :		अशक्त व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)
	है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी			
	(दिनांक/माह/वर्ष) आयु वर्ष,			
ानवासा मकान न	वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट	डाकघर	जिला कर ली है और मैं संतुष्ट हूं	

(क) वह एकाधिक अशक्तता से ग्रस्त हैं। उनके स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/अशक्तता की सीमा को दिशा-निर्देशों के अनुसार (......दिशा-निर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए जाने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) आकलित किया गया है और नीचे तालिका में संगत अशक्तता के सामने दर्शाया गया है:

क्रम सं.	अशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ मानसिक अक्षमता (% में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी			
	क्योर्ड)			
4.	बौनापन (ड्वार्फिज्म)			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
	(सेरिब्रल पॉल्सी)			
6.	तेजाबी हमला पीडि़त			
7.	कम दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीन	दोनों आंखों से		
9.	बधिर	£		
10.	श्रवण बाधित	£		
11.	वाक एवं भाषा संबंधी			
	अशक्तता(स्पीच एंड			
	लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
12.	बौद्धिक अशक्तता			
	(इंटेलेक्चुअल			
	डिजेबिलिटी)			
13.	अध्ययन संबंधी विशिष्ट			
	अशक्तता (स्पेसिफिक			
	लर्निंग डिजेबिलिटी)			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर			
15.	मानसिक व्याधि			
16.	पुराने तंत्रिका रोग (क्रॉनिक			
	न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)			
17.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस			
18.	पार्किंसन्स रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

ख) उपरोक्त के मद्देनजर, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार (दिशा-निर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए जाने की
रीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए), उनका समग्र शारीरिक दौर्बल्य निम्नानुसार है:-
कंड़ों में : प्रतिशत
ब्दों में : प्रतिशत
इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।
अशक्तता का पुन: आकलन :
(i) आवश्यक नहीं है,
अथवा
(ii) की अनुशंसा की जाती है/ वर्षों माह के उपरांत और इसलिए यह प्रमाण पत्र पित्नांक) (माह) (वर्ष)
तक के लिए वैध रहेगा ।

- 4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

सदस्य का नाम और मोहर	सदस्य का नाम और मोहर	अध्यक्ष का नाम और मोहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रपत्र –VII

अशक्तता प्रमाण पत्र

(उन मामले में, जिनका उल्लेख प्रपत्र V और VI में नहीं किया गया है) (प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

> अशक्त व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण प	त्र सं.		दिनांक :		
	प्रमाणित किया ज	गता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कु	मारी	पुत्र/पत्नी/पुत्री र्श्र	ì f
		_ जन्म तिथि	(दिनांक/माह/वर्ष) आयु	वर्ष, पुरुष/महिला	_ पंजीकरण
सं		्स्थायी निवासी मकान नं	वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट ्	डाकघर	जिला
	राज्य	और जिनका फोर्ट	टोग्राफ ऊपर लगाया गया है, ब	की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है औ	र मैं संतुष्ट हूं
कि वह		अशक्तता से ग्रस्त हैं। उनके स्थ	ायी शारीरिक दौर्बल्य/अशक्त	ता की सीमा की प्रतिशततता को	दिशा-निर्देशों
				ा विशेष रूप से उल्लेख किया ज	ाए) आकलित
किया गया	है और नीचे तालि	का में संगत अशक्तता के सामने	ा दर्शाया गया है:-		
क्रम सं.	अशक्तता	शरीर का	प्रभावित अंग निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/	

क्रम सं.	अशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ मानसिक अक्षमता (% में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी क्योर्ड)			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल			
	पॉल्सी)			
5.	तेजाबी हमला पीडि़त			
6.	कम दृष्टि	#		
7.	बधिर	€		

8.	श्रवण बाधित	€	
9.	वाक एवं भाषा संबंधी		
	अशक्तता(स्पीच एंड लैंग्वेज		
	डिजेबिलिटी)		
10.	बौद्धिक अशक्तता (इंटेलेक्चुअल		
	डिजेबिलिटी)		
11.	अध्ययन संबंधी विशिष्ट अशक्तता		
	(स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी)		
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर		
13.	मानसिक व्याधि		
14.	पुराने तंत्रिका रोग (क्रॉनिक		
	न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)		
15.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस		
16.	पार्किंसन्स रोग		
17.	हीमोफीलिया		
18.	थैलेसीमिया		
19.	सिकल सेल रोग		

(जो अशक्तता लागू न हो कृपया उसे काट दें।)

2		असमे और सब	+/ 	ने में मल्या ने	1) /110117 - 1) }	की संभावना है।
۷.	उसास्थातक	આ ગ આ ર લ હ •	1/न बढन/।स्था	त म सधार ह	।न/सधार न हान	कासमावनाहा

- 3. अशक्तता का पुन: आकलन :
 - (i) आवश्यक नहीं है,

(ii) की अनुशंसा की जाती है/..... वर्षोंमाह के उपरांत और इसलिए यह प्रमाण पत्र पत्र तक के लिए वैध रहेगा।

(दिनांक) (माह) (वर्ष)

- उदाहरण बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर @
- उदाहरण एक आंख/दोनों आंख #
- € उदाहरण बायां/दायां/दोनों कान

आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-4.

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का
		विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रतिहस्ताक्षर

{यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर (मोहर सहित)}

टिप्पणी : यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही मान्य होगा।

प्रपत्र –VIII

[अशक्तता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की अस्वीकृति की सूचना]

सं	दिनांक :	
सेवा में,		
(अशक्तता प्रमाण पत्र	के आवेदक का नाम और पता)	
विषय: <u>अशक्तता प्रमाण पत्र हेत्</u>	·	
महोदय/महोदया,		
		
-	के अपने आवेदन का संदर्भ लें जो निम्नलिखित अशक्तता हेतु अशक्तता प्रमाण पत्र जारी	।कए
जाने हेतु प्रस्तुत किया गया:		
2. उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में	 दिनांक को अधोहस्ताक्षरी/चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आपका चिकित्सा परीः	क्षण किया
	ए खेद है कि निम्नलिखित कारणों से आपको अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करना संभव नहीं हो ए	
(i)		
(ii)		
(iii)		
3. यदि आप अपने आवेदन को अ	स्वीकार किए जाने से असंतुष्ट हैं, तो इस निर्णय की समीक्षा हेतु अपना अभ्यावेदन	को
प्रस्तुत कर सकते हैं।		•
		भवदीय,
	(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्त (नाम अ	ाक्षरकर्ता) गौर मोहर)
ईडब्ल्यू	पूएस उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र	
आर्थिक रूप	सरकार (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता) से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र	
आर्थिक रूप	सरकार (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)	
आर्थिक रूप	सरकार (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता) से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र 	
आर्थिक रूप प्रमाणपत्र सं	सरकार (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता) से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र	
आर्थिक रूप प्रमाणपत्र सं प्रमाणित किया जाता है	सरकार (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता) से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र	
आर्थिक रूप प्रमाणपत्र सं प्रमाणित किया जाता है स्थायी पता ग्राग्	सरकार (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता) : से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र :	सेत प्रदेश
आर्थिक रूप प्रमाणपत्र सं प्रमाणित किया जाता है स्थायी पता ग्राग् पिन कोड	सरकार (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता) से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र	सेत प्रदेश र्ष 2019-
आर्थिक रूप प्रमाणपत्र सं प्रमाणित किया जाता है स्थायी पता ग्राग पिन कोड 20 तब से उनका/उनकी परिवार की	सरकार (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता) से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र	सेत प्रदेश र्ष 2019-
आर्थिक रूप प्रमाणित किया जाता है स्थायी पता ग्राग् पिन कोड 20 तब से उनका/उनकी परिवार र्क गई में से कोई भी संप्रत्ति अपनी नर्ह	सरकार (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता) : से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र :	सेत प्रदेश र्ष 2019-
आर्थिक रूप प्रमाणित किया जाता है स्थायी पता ग्राग् पिन कोड 20 तब से उनका/उनकी परिवार की गई में से कोई भी संप्रत्ति अपनी नर्ह I. 5 एकड़ और इससे	सरकार (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता) से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र	सेत प्रदेश र्ष 2019-
आर्थिक रूप प्रमाणित किया जाता है स्थायी पता ग्राग् पिन कोड 20 तब से उनका/उनकी परिवार र्क गई में से कोई भी संप्रत्ति अपनी नर्ह I. 5 एकड़ और इससे II. 1000 वर्ग फीट अँ	सरकार (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता) से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र	सेत प्रदेश र्ष 2019-
आर्थिक रूप प्रमाणित किया जाता है स्थायी पता ग्राग् पिन कोड 20 तब से उनका/उनकी परिवार की गई में से कोई भी संप्रत्ति अपनी नर्ह ।. 5 एकड़ और इससे ॥. 1000 वर्ग फीट अँ ॥. अधिसूचित निगमे	सरकार (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता) से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र	सेत प्रदेश र्ष 2019-
आर्थिक रूप प्रमाणित किया जाता है स्थायी पता ग्राग् पिन कोड 20 तब से उनका/उनकी परिवार र्क गई में से कोई भी संप्रत्ति अपनी नर्ह ।. 5 एकड़ और इससे ॥. 1000 वर्ग फीट अँ ॥. अधिसूचित निगमे	सरकार (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता) से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र	सेत प्रदेश र्ष 2019- ग नीचे दी
आर्थिक रूप प्रमाणित किया जाता है स्थायी पता ग्राग् पिन कोड 20 तब से उनका/उनकी परिवार र्क गई में से कोई भी संप्रत्ति अपनी नर्ह I. 5 एकड़ और इससे II. 1000 वर्ग फीट अँ III. अधिसूचित निगमे IV. अधिसूचित निगमे 2. श्री/श्रीमती/कुमारी	सरकार (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता) से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र	सेत प्रदेश र्ष 2019- ग नीचे दी
आर्थिक रूप प्रमाणित किया जाता है स्थायी पता ग्राग् पिन कोड 20 तब से उनका/उनकी परिवार र्क गई में से कोई भी संप्रत्ति अपनी नर्ह I. 5 एकड़ और इससे II. 1000 वर्ग फीट अँ III. अधिसूचित निगमे IV. अधिसूचित निगमे 2. श्री/श्रीमती/कुमारी	सरकार (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता) से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र	सेत प्रदेश र्ष 2019- ग नीचे दी एवं अन्य त हस्ताक्षर

- * नोट 1: आय के सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि शामिल है।
- ** नोट 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसके पति / पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल है ।
- *** नोट 3: विभिन्न स्थानों या विभिन्न जगहों / शहरों में एक "परिवार" के पास संपत्ति को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग टेस्ट को लागू करते समय क्लब मिला दिया गया है।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION COMBINED GEO-SCIENTIST EXAMINATION, 2021 INSTRUCTIONS TO CANDIDATES FOR FILLING IN THE DETAILED APPLICATION FORM

The candidates should read these instructions carefully before filling in the online Detailed Application Form. The candidate should also scan their relevant original documents as listed below in 200 dpi grey scale and convert to separate pdf files up to 1 mb, before filling in the online Detailed Application Form (DAF). The pdf files so created must not be password protected and it should be uploaded along with the online submission of DAF.

- (I) Scanned copy of the certificate of age.
- (II) Scanned copy of the certificates showing his/her educational qualification prescribed in para 3(iii) of the Notice of the Examination uploaded on the website of Commission and Rule 9 of the Rules of Examination published in the Gazette of India dated 07th October, 2020.
- (III) Scanned copy of the certificate in support of claim to belong to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/EWS (wherever applicable).
- (IV) A scanned copy of Undertaking duly signed by the candidate seeking relaxation as OBC candidate in support of claim of not belonging to creamy layer, to be given in format as mentioned in para B-1 of Appendix I.
- (V) A scanned copy of duly filled in and signed proforma given as OBC Annexure to Detailed Application Form by the Candidate seeking relaxation as OBC candidate.
- (VI) Scanned copy of the certificate in support of claim of age relaxation, wherever applicable.
- (VII) Scanned copy of the certificate in support of claim to being Persons with Benchmark Disability, wherever applicable.
- (VIII) Scanned copy of the certificate in support of claiming age relaxation as persons employed in the GSI and CGWB under Rule 8(c), wherever applicable.
- (IX) Scanned copy of the Undertaking duly signed by the candidate if already in Government Service.
- (X) A duly filled in and signed proforma given as EWS Annexure to Detailed Application Form by the candidate, seeking reservation as EWS candidate.

Duly signed copy of the online Detailed Application Form along with originals of the above certificates are required to be produced along with self certified copies of all the documents at the time of interview or within the last day of interview, which will be published in the Commission's Website in due course, failing which their candidature is liable to be cancelled. It may also be noted that in no case the last date of verification of certificates will be extended. Candidate must also note that they should upload only the scanned copies of the original documents and no document is required to be sent by post.

- 2. The information earlier given by candidates in the Application Form for the Examination through online will be cross-checked with the information given by them in this Detailed Application Form online. If there will be any serious discrepancies, their candidature is liable to be rejected / cancelled.
- 3. A candidate who claims to belong to one of the Schedule Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, the Economically Weaker Sections should **upload** in support of his/her claim a scanned copy of the certificate in the form given in **Appendix-I** from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other officer of the district in which his/her parents (or surviving parent) ordinarily reside. Such an officer should have been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his/her parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself/herself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his/her own education.

Note 1: Candidates should note that their SC/ST/OBC/EWS/PwBD/Ex-servicemen certificate should be earlier than the closing date of application for Combined Geo-Scientist Examination, 2021 [i.e. prior to 27.10.2020] as prescribed in the Rule 23 of the rules for the examination. **The EWS candidates applying for the Combined Geo-Scientist Examination, 2021 must produce an Income and Asset Certificate for F.Y. 2019-2020.**

Note 2: Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation in the caste name will not be accepted.

Note 3: The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his father originally belongs. A candidate who has migrated from one State (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to him based on his father's OBC certificate from the State to which he (father) originally belongs.

- **Note 4:** No change in the community status indicated by a candidate in his/her application form for the Combined Geo-Scientist Examination will be allowed by the Commission except in the circumstances mentioned in the Rule 22 of Combined Geo-Scientist Examination Rules, 2021.
- 4. A candidate must fill up and submit online Detailed Application Form along with scanned copies of the relevant documents by using the website www.upsc.gov.in.

5. A candidate must upload along with his/her online Detailed Application Form, a scanned copy of certificate of age (indicating his/her date of birth). The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent Examination may submit a scanned copy of the Higher Secondary Examination certificate or an equivalent certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service Records and the like, will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instructions includes the alternative certificate mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must submit in addition to the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate a scanned copy of the certificate from the Headmaster/ Principal of the Institution from where he/she passed the Matriculation/Higher Secondary Examination showing date of his/her birth or his/her exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with the application, the candidature of the candidate will be rejected.

6. Candidates are advised to read carefully the Rules of the Examination, which include conditions of eligibility etc. as published in the Gazette of India dated 07th October, 2020. They should note that no correspondence will be entertained by the Commission from candidates to change any of the entries made in the application form. They should, therefore, take special care to fill up the application form correctly.

In case there are any illegible or misleading entries, the candidates will be responsible for the consequences thereof.

7. Candidates are required to indicate in column 21(a) of the application form the posts for which they have qualified on the result of the written part of the examination. In case they have qualified for both the categories of posts they should indicate their order of preference for these Services in column 21(b) so that having regard to the rank in order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointment.

No request for addition/alteration in the preferences indicated by a candidate in his application will be entertained by the Commission.

- 8. A candidate must upload a scanned copy of a certificate showing his educational qualification prescribed in para 3(III) of the Notice dated 07th October, 2020 for the Examination available on the website of Commission. The certificate submitted must be one issued by the authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification.
- Note 1:- A CANDIDATE WHO HOLDS A COMPLETED SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE NEED UPLOAD A SCANNED COPY OF THE PAGE CONTAINING ENTRIES RELATING TO AGE ONLY.
- Note 2:- CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONLY THE DATE OF BIRTH AS RECORDED IN THE MATRICULATION/HIGHER SECONDARY EXAMINATION CERTIFICATE OR AN EQUIVALENT CERTIFICATE ON THE DATE OF SUBMISSION OF APPLICATION WILL BE ACCEPTED BY THE COMMISSION AND NO SUBSEQUENT REQUEST FOR ITS CHANGE WILL BE CONSIDERED OR GRANTED.
- 9 (i). A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession should upload a scanned copy of the certificate in the form prescribed below from the Director General Resettlement, Ministry of Defence to show that he was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.

hostilities with any foreign country or in a disturbed area and r	released as a consequence thereof.
The form of certificate to be produced by the cand	lidate is :—
Certified that No.——— Rank————Shri——	of Unit
was disabled while in the Defence Services in operations durin	g hostilities with a foreign country/in
a disturbed area* and was released as a result of such disability	y.
	Signature
	Designation
	Date

- *Strike out whichever is not applicable.
- (ii) Ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs claiming age concession should upload a scanned copy of the certificate as applicable to them, in the form prescribed below, from the authorities concerned.
 - (A) Form of certificate applicable for Released/Retired personnel.

	s certinea i	mai no	Rank	Name _		whose date of
birth is _	has	rendered se	rvice from	_ to	_ in Army/Navy/Air Force	and he fulfils
		g conditions				
(a)					nd has been released on	
	assignmen		than by way o	f dismissal or	discharge on account of	misconduct or
(b)	Has been	released on		ysical disabili	ty attributable to military	service or on
Station:		nt on	·			
Date:						
					Name and Des Compe	tent Authority
(B)	Form of c	ertificate f	or serving per	sonnel (Appl	icable for serving perso	SEAL nnel who are
	-	within one		, 11	3 31	
					vailable with me No	
					is serving in the A	
				nplete the spe	ecified term of his engage	ment with the
	orces on th					
Date	••••••	••••••			Signature of Comm	anding Officer Office Seal
					give the following undert	
			the candidate		·	
					ecruitment/Examination	
					producing documentary en ly released/retired/discha	
					ole to ex-servicemen in ter	
					sts) Rules, 1979, as amen	
to time.	` -				•	
					Signatur	e of candidate
D1					Oignatui	c or carraraate
					Oignatui	or carrarate
Date :			able for servin	g ECOs/SSC	Os who have already con	
Date: (C) Form initial as	n of Certifi ssignment	cate applic and are on	extended assig	gnment.	Os who have already con	mpleted their
Date: (C) Form initial as	n of Certificssignment	 cate applic and are on that No	extended assig	gnment.	Os who have already con	mpleted their
Date: (C) Form initial as It is date of b	of Certification of Cer	icate applic and are on that No is s	extended assignment of the Article extended assignment of the Article extends in the Article extends as a second assignment of the Article extended assignme	gnment. my/Navy/Air	Os who have already con	mpleted their whose
Date: (C) Form initial as It is date of b 2. 1	n of Certifics signment is certified irth is	cate applic and are on that No is s eady comple	extended assignment of the American erving in the American his initial	gnment. my/Navy/Air	Os who have already con	mpleted their whose
Date: (C) Form initial as It is date of both 2. It extended	n of Certifissignment is certified irth is He has alread assignment	icate applic and are on that No is s eady comple at till	extended assignment of the Areted his initial	gnment. c rmy/Navy/Air assignment of	NameForce from	mpleted their whose and is on
Date: (C) Form initial as It is date of b 2. It extended 3. 7	n of Certification of Certified irth is He has alread assignment is no	icate applic and are on that No is s eady comple at till	extended assignment of the Areted his initial	gnment. c my/Navy/Air assignment of	Name	mpleted their whose and is on
Date: (C) Form initial as It is date of b 2. It extended 3. 7 months in	n of Certifies signment is certified irth is	icate applic and are on that No is s eady comple at till	extended assignment	gnment. c my/Navy/Air assignment of	Name	mpleted their whose and is on
Date: (C) Form initial as It is date of b 2. If extended 3. 7 months is Station:	n of Certifies signment is certified irth is	icate applic and are on that No is s eady comple at till	extended assignment	gnment. c my/Navy/Air assignment of	Name	mpleted their whose and is on
Date: (C) Form initial as It is date of b 2. If extended 3. 7 months is Station:	n of Certifissignment is certified irth is He has alred assignment There is no notice on se	icate applic and are on that No is s eady comple at till	extended assignment	gnment. c my/Navy/Air assignment of	Name	mpleted their whose and is on eased on three ignation of the
Date: (C) Form initial as It is date of b 2. If extended 3. 7 months is Station:	n of Certifissignment is certified irth is He has alred assignment There is no notice on se	icate applic and are on that No is s eady comple at till	extended assignment	gnment. c my/Navy/Air assignment of	Name	mpleted their whose and is on eased on three ignation of the etent Authority
Date: (C) Form initial as It is date of b 2. It extended 3. 7 months in Station: Date:	n of Certifissignment is certified irth is He has alred assignment I assignment is no notice on se	icate applic and are on that No is s eady comple nt till objection to	extended assignment of the Areted his initial action	gnment. c rmy/Navy/Air assignment of for civil emplo eipt of offer of	Name	mpleted their whose and is on eased on three ignation of the
Date: (C) Form initial as It is date of b 2. It extended 3. 7 months in Station: Date:	n of Certifies signment is certified irth is	icate applic and are on that No is s eady comple nt till objection to election from	extended assignment of the Areted his initial and the Areted his applying to the date of reconstruction of the date of t	rmy/Navy/Air assignment of for civil emploreipt of offer of ertificate are a uding ECOs/S	Name	mpleted their whose and is on eased on three ignation of the etent Authority
Date: (C) Form initial as It is date of b 2. It extended 3. 7 months in Station: Date:	n of Certifies signment is certified irth is	icate applic and are on that No is s eady comple nt till objection to election from no are compe Commission litary Secret	extended assignment of the Areted his initial and the Areted his applying to the date of reconstruction of the date of t	rmy/Navy/Air assignment of for civil emploreipt of offer of ertificate are a uding ECOs/S ny Hqrs., New	Name	mpleted their whose and is on eased on three ignation of the etent Authority
Date: (C) Form initial as It is date of b 2. It extended 3. 7 months in Station: Date:	n of Certifies signment is certified irth is	icate applicand are on that No is seady complete till objection to election from	extended assignment of the Areted his initial action his applying to the date of record etent to issue content to issue content of the Areted Officers including Branch, Arecesonnel, Nava	ertificate are a uding ECOs/3 ny Hqrs., New I Hqrs., New I	Name	mpleted their whose and is on eased on three ignation of the etent Authority
Date: (C) Form initial as It is date of b 2. 1 extended 3. 7 months is Station: Date: Aut (a)	n of Certifies signment is certified irth is	icate applicand are on that No is seady completed till	extended assignment of the Areted his initial and the Areted his initial and the Areted his applying the the date of record and the Areted Areted Officers including Branch, Aretersonnel, Nava of Personnel Officersonnel Officer	ertificate are a uding ECOs/3 ny Hqrs., New Ifficers, Air Hq	Name	mpleted their whose and is on eased on three ignation of the etent Authority
Date: (C) Form initial as It is date of b 2. 1 extended 3. 7 months is Station: Date: Aut (a)	n of Certifies signment is certified irth is	icate applicand are on that No is seady complete till objection to election from	extended assignment of Personnel, Nava of Personnel Ond equivalent of	ertificate are a uding ECOs/3 ny Hqrs., New I Hqrs., New I fficers, Air Hq the Navy and	Name	mpleted their whose and is on eased on three ignation of the etent Authority
Date: (C) Form initial as It is date of b 2. 1 extended 3. 7 months is Station: Date: Aut (a)	thorities what In case of Army—Bir Force—In case of Army—By	cate applicand are on that No is seady completed till	extended assignmental Randerving in the Areted his initial mental and the date of record at the date of record ary Branch, Arror Personnel, Nava of Personnel Ond equivalent of timental Record	ertificate are a uding ECOs/3 ny Hqrs., New I Hqrs., New I fficers, Air Hq the Navy and	Name	mpleted their whose and is on eased on three ignation of the etent Authority
Date: (C) Form initial as It is date of b 2. 1 extended 3. 7 months is Station: Date: Aut (a)	thorities what In case of Army—By Navy—BA	tate applicand are on that No	extended assignmental Records etected his initial control of his applying to the date of records etected to issue control of the date of records etected Officers including Branch, Arriversonnel, Nava of Personnel Ond equivalent of the dimental Records	ertificate are a uding ECOs/S ny Hqrs., New I Hqrs., New I fficers, Air Hq the Navy and Offices.	Name	mpleted their whose and is on eased on three ignation of the etent Authority
Date: (C) Form initial as It is date of be 2. It extended 3. The months is Station: Date: Aut (a)	thorities what recently have been seen as the case of Army—By Navy—BA Air Force—	tate applicand are on that No is seady complete till objection from the complete till seady co	extended assignmental Records of Personnel Order equivalent of the condition of the conditi	ertificate are a uding ECOs/Smy Hqrs., New Efficers, Air Hq the Navy and Offices.	Name	mpleted their
Date: (C) Form initial as It is date of because a state of the st	thorities when the case of Army—By Navy—BAI Air Force—andidate of the case of	tate applicand are on that No is seady complete till objection from the complete till seady complete to are compl	extended assignment of the detect to issue content in the detect of Personnel, Nava conference is of Personnel Of the dequivalent of immental Record is decords NERW, belong to Person the physical	ertificate are a uding ECOs/Smy Hqrs., New I Hqrs., New I fficers, Air Hq the Navy and Offices. New Delhi. ons with Be requirement/s	Name	mpleted their
Date: (C) Form initial as It is date of be 2. It is date of be 3. The months is Station: Date: Aut (a) (b) 10. A carequired Rules for	thorities when the case of Army—By Navy—BA Air Force—andidate of the combine of t	tate applicand are on that No	extended assignment of the physical cientist Examin	ertificate are a uding ECOs/Smy Hqrs., New I Hqrs., New I fficers, Air Hq the Navy and Offices. New Delhi. ons with Be requirement/a ation, 2021.	Name	mpleted their
Date: (C) Form initial as It is date of because a state of becaus	thorities when the case of Army—By Navy—BA Air Force—andidate of the combificate of I for the Co	tacate applicand are on that No	extended assignment of the date of records NERW, belong to Person of the physical cientist Examin Form V/Form	ertificate are a uding ECOs/s here. New Efficers, Air Hq the Navy and Offices. New Delhi. ons with Be requirement/a ation, 2021. In VI/ Form	Name	mpleted their
Date: (C) Form initial as It is date of because a station: Date: Aut (a) (b) 10. A carequired Rules for the Cert Authorit	thorities when the case of Army—By Navy—BA Air Force—andidate of Ity of the Combisition of the Combision of	tacate applicand are on that No	extended assignment of the physical cientist Examin. Form V/Form the Aretended assignment of the physical cientist Examin. Form V/Form te Government.	ertificate are a uding ECOs/S hy Hqrs., New I Hqrs., New I fficers, Air Hq the Navy and Offices. New Delhi. ons with Be requirement/a ation, 2021. In VI/ Form	Name	mpleted their

NOTE: NOTWITHSTANDING THE AFORESAID PROVISION FOR AGE RELAXATION, A CANDIDATE BELONGING TO PERSONS WITH BENCHMARK CATEGORY WILL BE CONSIDERED TO BE ELIGIBLE FOR APPOINTMENT ONLY IF HE/SHE (AFTER SUCH PHYSICAL EXAMINATION AS THE GOVERNMENT OR THE APPOINTING AUTHORITY, AS THE CASE MAY BE, MAY PRESCRIBE) IS FOUND TO SATISFY THE REQUIREMENTS OF PHYSICAL AND MEDICAL STANDARDS FOR THE COMBINED GEO-SCIENTIST EXAM, 2021 IN RESPECT OF

CANDIDATES BELONGING TO THE PERSONS WITH BENCHMARK CATEGORY BY THE GOVERNMENT.

11. Persons employed in the Geological Survey of India, and Central Ground Water Board, claiming age relaxation under Rule 8(c) should upload a scanned copy of a certificate from Head of their Office/Department in the following form:—

age relaxation under Kule ofc) should upload a scanned copy of a certificate from riead of the
Office/Department in the following form:—
Form of Certificate to be produced by Candidates
Certified that Shri/Shrimati/Kumari* holds
permanent/temporary* post of in the Geological Survey of India/ Centra
Ground Water, Board* w.e.f
Signature
Designation
Ministry/Office
Office Stamp
*Strike out whichever is not applicable.
12. The candidates should note that their candidature for the Combined Geo-Scientis
Examination, 2021 will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibilit conditions. If on verification at any stage before or after the examination it is found that they do not
fulfil any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by th

Commission.

Note: Candidates shortlisted for interview on the basis of written result will be required to upload scanned copies of documents/relevant certificates in support of claims made in the on-line application as and when demanded by the Commission.

Originals of the above certificates are required to be produced at the time of interview along with a set of self certified documents.

- 13. Any application filled online without uploading scanned copies of all or some of the documents as mentioned above will entail cancellation of candidature. Any missing enclosures sent subsequently by the candidate will not be entertained.
- 14. In all communications with the Commission regarding this application, the candidate should mention the name of the Examination, his Full Name, Roll Number, Registration I.D. (11 digits) and date of birth.
- 15. Persons in Government service whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under Public Enterprises are required to **upload** an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/ Department that they have applied for the Examination. Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the Examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled. (**Please refer Rule 11 of the Combined Geo-Scientist Examination Rules, 2021**)

The form of the Undertaking to be uploaded by the candidate:

UNDERTAKING (for Government Employees) I have intimated my Head of Office / Department in writing on that I
have applied for the Combined Geo-Scientist Examination, 2021.
(Signature) Name:
Roll No
NOTE: All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work charged employee, other than casual or daily rated employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination. Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950(a).
the Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951@.
the Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951@.
[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the
Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966; the State of Himachal
Pradesh Act, 1970; the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes
and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976 the State of Mizoram Act, 1986, the State of
Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman & Diu (Reorganisation) Act, 1987.]
the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956@.
the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the
Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976. @
the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.@
the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.@
the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.@
the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967.@
the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.@
the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.@
the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.@
the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.@
the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.@
the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.@
the Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990.@
the Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991.@
the Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991.@
the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.@
the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002.@
the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2002.
the Constitution (Scheduled Castes) Order (Second Amendment) Act, 2002.@
%2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from
one State/Union Territory Administration to another.
This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificate issued to
Shri/Shrimati* — Father/mother of Shri/Shrimati/ Kumari*——
of village/town* in District/Division* of the State/Union Territory*
of village/town*
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of ———————————————————————————————————
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of ———————————————————————————————————
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of ———————————————————————————————————
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of — issued by the — dated
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of — issued by the — dated
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of — issued by the — dated
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of issued by the dated
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of issued by the dated
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of issued by the
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of
Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of

- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/9/94-BCC dated 19.10.94, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.163 dated 20.10.1994.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/7/95-BCC dated 24.5.95, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 88 dated 25.5.1995.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996 published in Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 60 dated 11th March, 1996.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 210 dated 11th December, 1996.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.239 dated the 17th December, 1997.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/99/94-BCC dated the 11th December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.236 dated the 12th December, 1997.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 241 dated the 27th October, 1999.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/88/98-BCC dated the 6th December, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 270 dated the 6th December, 1999.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/36/99-BCC dated 4th April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 71 dated the 4th April, 2000.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/44/99-BCC dated the 21st September, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 210 dated the 21st September, 2000.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/9/2000-BCC dated the 6th September, 2001 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 246 dated the 6th September, 2001.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/1/2001-BCC dated the 19th June, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 151 dated the 20th June, 2003.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/4/2002-BCC dated the 13th January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 9 dated the 13th January, 2004.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/9/2004-BCC dated the 16th January, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 10 dated the 16th January, 2006.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/14/2004-BCC dated the 12^{th} March, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 67 dated the 12^{th} March, 2007.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated 18th August, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 232 dated the 18th August, 2010.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated 11th October, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.274 dated the 12th October, 2010.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/15/2008-BCC dated 16th June, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.123 dated the 16th June, 2011.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/13/2010-BC-II dated 8th December, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 257 dated the 8th December, 2011.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated 17th February, 2014 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 41 dated the 17th February, 2014.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/04/2014-BC-II dated the 14^{th} January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.16 dated the 14^{th} January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/07/2014-BC-II dated the 23rd January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.26 dated the 23rd January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/01/2015-BC-II dated the 27^{th} May, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.144 dated the 27^{th} May, 2015.

- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated the 14th July, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.191 dated the 15th July, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 09th September, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.234 dated the 09th September, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 25th May, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.160 dated the 26th May, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/14/2016-BC-II dated the 13th June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.188 dated the 15th June, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/15/2016-BC-II dated the 30^{th} June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.206 dated the 30^{th} June, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/04/2014-BC-II dated the 11th August, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.266 dated the 11th August, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 06th December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.363 dated the 07th December, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 22^{nd} December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.374 dated the 22^{nd} December, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.20012/01/2017-BC-II dated the 18th January, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.18 dated the 19th January, 2017.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/7/2017-BC-II dated the 28th July, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.188 dated the 31st July, 2017.

	Shri	l/Shi	rima	ati/Κι	ımaı	i* .							8	and/	or*	his/l	ıer*	famil	y or	dina	rily re	eside	(s)
in	village	/tow	'n*.					. .		. of	Γ	District/	Divi	sion	* of	the					State	/Uni	on
Te	rritory*	of																					
	T31 ·		1			. 1	. 1	,	1	1		. 1	1		. 1			,		4 (0		-	١.

This is also to certify that he/she* does not belong to the persons/sections* (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8-9-1993 O.M.' No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 9th March, 2004, O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 14th October, 2008. and O.M. No.36033/1/2013-Estt. (Res.) dated 27th May, 2013.

Signature	٠
**Designation	
(with seal of Office) State/U.7	

Place.....

*Please delete the words which are not applicable.

@Strike out whichever is not applicable.

(B-1) The format of undertaking to be furnished along with the Detailed Application Form by Other Backward Class candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

UNDERTAKING

I	son/daughter	of Shri		residen	ıt of
Village/Town/City Dist	rict	State/UT .	hereby	declare tha	at I
belong to the	community which	n is recogniz	zed as a backwar	d class by	the
Government of India for the purpo	ose of reservation	n in service	es as per orders	contained	in
Department of Personnel & Train	ing Office Memo	orandum No	o.36012/22/93-Es	stt(SCT) da	ated
08.09.1993. It is also declared that I d	lo not belong to pe	ersons/section	ons (Creamy Layer	r) mentioned	d in
Column 3 of the Schedule to the	above referred C	Office Memo:	randum dated 08	3.09.1993	and
O.M.No.36033/3/ 2004-Estt. (Res.) of	lated 9.3.2004 ar	nd 14.10.200	08 and O.M. No.3	6033/1/20	13-
Estt. (Res.) dated 27th May, 2013 as a	mended from time	e to time.			

S	ignature
Name of the C	andidate
	Roll No

Note: The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

Note 1: Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in

the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation in the caste name will not be accepted.

Note 2: The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his father originally belongs. A candidate who has migrated from one State (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to him based on his father's OBC certificate from the State to which he (father) originally belongs.

Note 3: No change in the community status already indicated by a candidate in his/her simplified application form for this examination will be allowed by the Commission except in the circumstances mentioned in the Rule 22 of Combined Geo-Scientist Examination Rules, 2021.

FORM- IV

	Application for Obtaining Certificate of Dis	sability by Persons with Disabilities
(1)	Name :	
(1)	(Surname) (First Name)	(Middle Name)
(2)	Father's Name : Mother's N	Jame:
(3)	Father's Name : Mother's Name :	dine:
(0)	(Date) (Month)	Vear)
(4)	Age at the time of application:y	acro
(+)	Sex: Male/Female/Transgender	tals
		
(0)	Address:	o for commissionium)
	(a) Permanent address (b) Current Address (i	i.e. for communication)
	() D : 1 : 1	
(7)	(c) Period since when residing at current addr	ess
(7)	Educational Status (please tick as applicable)	
	(i) Post Graduate	
	(ii) Graduate	
	(iii) Diploma	
	(iv) Higher Secondary	
	(v) High School	
	(vi) Middle	
	(vii) Primary	
	(viii) Non-literate	
(8)	Occupation	
(9)	Identification marks (i)	(ii)
(10)		
(11)	Period since when disabled: From Birth//s	ince year
(12)	(i) Did you ever apply for issue of a certification	te of disability in the past _ yes/no
	(ii) If yes, details:	
	(a) Authority to whom and district in v	which applied
	(b) Result of application	
(13)	Have you ever been issued a certificate of d	lisability in the past? If yes, please enclose a
` ,	true copy.	
Declar	ation: I hereby declare that all particulars stat	ed above are true to the best of my knowledge
	lief, and no material information has been con	
	racy is detected in the application, I shall be	
	ction as per law.	J
	r	
		(signature or left thumb impression of
		person with disability, or of his/her legal
		guardian in case of persons with
		intellectual disability, autism, cerebral
		palsy and multiple disabilities, etc)
Date:		party and matriple disabilities, etc)
Date.	Place:	
	Enclosures:	
1.	Proof of residence (Please tick as applicable).	
1.		
	(b) voter identity card,	
	(c) driving license,	
	(d) bank passbook,	
	(e) PAN card,	
	(f) passport,	
	(g) telephone, electricity, water and any o	ther utility bill indicating the address of the

gazetted officer, or the concerned Patwari or Head Master of a Government school, (i) in case of an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill, and other disability, a certificate of residence from head of such institution.

a certificate of residence issued by a Panchayat, municipality, cantonment board, any

2. Two recent	passport size	photographs			
		(For office use	only)		
Date: Place:			Signature Stamp	of issuing aut	thority
		***** Form-V			
		Certificate of Dis omplete permanent par blindness ress of the Medical Aut	alysis of lim		
					Danast
					Recent passpor size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.
Certificate No.		C 11	Date:	/ 7.7	
son/wife/daughter	ertify that I h	ave carefully examined	Shri/Smt. Date of Bi	/Kum rth (DD/MM/\	YY) Age
years, male	female	registrati	ion No	per	rmanent resident of
		llage/Street , whose photograph is			
(A) he/she is a case		, whose photograph is	anixed above	ve, and am sat	tisticu tilat.
• locomotor					
dwarfismblindness					
	x as applicable	2)			
(B) the diagnosis in	his/her case	is		(; 1)	. 1
(C) he/she has disability/dwarfish	% (111 1 1/blindness i	figure) n relation to his/her	percent	(in words) pe part of body)	as per guidelines
(number	r and date of is	ssue of the guidelines t	o be specifi	ed).	
	ant has submi Document	tted the following docu Date of Issue	ıment as pro		e:- authority issuing
wature of r	ocamen	Date of issue		certificate	authority issuing
		1	Cian oturo o	nd Sool of Aut	horised Signatory of
Signature/thumb	٦	(1	oignature a		d Medical Authority)
impression of the					
person in whose					
favour certificate of disability is					
issued					
	1	Form - VI	I		
		Certificate of Dis	-		
(1)	Jame and Add	(In cases of multiple ress of the Medical Au		ng the Certific	rate)
(-	vario ana ma	ress of the Medical Ha	inority local		
					Recent passport
					size attested photograph
					(Showing face
					only) of the person with disability.
Certificate No.			Date:	L	
		t we have carefully			
(DD/MM/YY)		/daughter of Shri _years, male/female _			
resident of House	No	Ward/Village/S , whose photogra	Street	Post	Office
District	_ State	, whose photogra	aph is affixe	d above, and a	am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part	Diagnosis	Permanent physical
		of body		impairment/mental
				disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language			
	disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning			
	Disability			
14.	Autism Spectrum			
	Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological			
	Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			irment as per guidelines (

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows: -

In figures	•	_	 percent	

In figures : - ------ percent
In words :- ------ percent

- 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
- 3. Reassessment of disability is:
 - (i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till -----

(DD) (MM) (YY)

- e.g. Left/right/both arms/legs (a)
- e.g. Single eye #
- e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

	8	F
Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

Signature and seal of the Medical Authority. Name and Seal of Member Name and Seal of Member Name and Seal of the Chairperson

Signature / thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Form - VII

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms V and VI) (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability

				With disdoil	
Certificate	No	Date:			
	o certify that I h		nined Shri/Smi	t /Kıım	
1110 10 0	son/wife/	daughter of Shri	innea omijom	Dot	e of Birth
DD/MM/S	3011/ WIIC/	Δαe ve	are male/fema	Dat ale Regist	ration No
ו /יייואו	nermanent	_ Ingo yo	ars, maic/icma	d/Village/Street	Post
Office	permanent	Ctoto	0 war	1/ Village/Street	rost
horro and	District	State _		, whose photograp disability. His/h	or extent of
above, and	alli sausileu illai li	e/sile is a case of _		disability. His/iii	er exterit or
				per guidelines (r	
	_	to be specified, and	u is snown agan	nst the relevant disal	omity in the
able below		ACC + 1	D: :	I D	1 . 1
S. No	Disability	Affected part	Diagnosis	Permanent	physical
		of body		impairment/mer	ital
	- 4. 4.4			disability (in %)	
1.	Locomotor disabilit	-			
2.	Muscular Dystroph	ny			
3.	Leprosy cured				
4.	Cerebral Palsy				
5.	Acid attack Victim				
6.	Low vision	#			
7.	Deaf	€			
8.	Hard of Hearing	€			
9.	Speech and Lang	uage			
	disability				
10.	Intellectual Disabil	ity			
11.	Specific Lear				
11.	Disability	111115			
12.	Autism Spec	trum			
14.	Disorder	u uiii			
13.					
	Chronic Neurolo	mino1			
14.	Conditions	gicai			
1.5					
	Multiple sclerosis				
		e			
	Haemophilia				
	Sickle Cell disease				
	ke out the disabilitie				
			ive/likely to imp	rove/not likely to imp	rove.
	sment of disability is	:			
i) not nece	5 /				
ii) is recon	nmended/after	years	months, and	therefore this certific	ate shall be
	D/MM/YY)				
	:/Right/both arms/le	egs			
‡ - eg. Sing	gle eye/both eyes				
🗄 - eg. Left	/Right/both ears				
1. The app	licant has submitted	the following docum	nent as proof of r	esidence:-	
Nature of d	locument	Date of issue		Details of authori	ity issuing
				certificate	
		ſA	uthorised Signat	tory of notified Medica	l Authority)
		(ne and Seal)
Signature/t	thumb			(=	

impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned {Countersignature and seal of the Chief Medical Officer/Medical Superintendent/

Head of Government Hospital, in case the Certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant (with seal)

Note.- In case this certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District.

FORM - VIII[Intimation of rejection of Application for Certificate of Disability]

	Intimation	of rejection of Application for Certificate of Disability
No		Dated:
fo		• •
	ease refer to your	application dated for issue of a Certificate of Disability for the
Authority		e application, you have been examined by the undersigned/ Medical egret to inform that, for the reasons mentioned below, it is not possible lity in your favour:
3. In to	case you are ag	grieved by the rejection of your application, you may represent g for review of this decision.
		Yours faithfully, (Authorised Signatory of the notified Medical Authority) (Name and Seal)
	FORM OF CEI	RTIFICATE TO BE PRODUCED BY EWS CANDIDATES
	(Name 8	Government of
		INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS Certificate No Date:
		VALID FOR THE YEAR 2020-21
Territory Economicalakh (Rupeany of the I. III IV m 2.	Post Office Post Office Pially Weaker Section Pially Weaker Sectio	ral land and above; 000 sq. ft. and above; 100 sq. yards and above in notified municipalities; of 200 sq. yards and above in. areas other than the notified i belongs to the caste which is not duled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central
		Signature with seal of Office Name
	Recent Passport Size attested	Designation

photograph of the applicant

*Note l: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2: The term 'Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note 3: The property held by a "Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.